



2026:AHC:58557

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10643 वर्ष 2026

काजल एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: कृपा शंकर यादव, नेहा रानी, पवन कुमार यादव, सत्येन्द्र सिंह यादव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं तथा राज्य-प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान शासकीय अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति वाली एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिसमें प्रत्यर्थियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए, और साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा है कि दोनों याचिकाकर्ता अविवाहित हैं और वे बिना विवाह के साथ में रह रहे हैं। उन्हें अपनी जान का खतरा है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, ताकि पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया जा सके कि वे निजी प्रत्यर्थियों से उनकी जान की रक्षा करें।
4. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



5. इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या 35171 वर्ष 2025 (आकांक्षा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य) में, जिसका निर्णय 17.12.2025 को दिया गया था, इसी विवाद पर विचार किया है। प्रस्तुत मामले के तथ्य आकांक्षा (उपर्युक्त) मामले के तथ्यों के समान हैं। अतः, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।

6. एक बार जब कोई व्यक्ति, जो बालिग है, अपना जीवनसाथी चुन लेता है, तो किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, यह अधिकार नहीं है कि वह इस पर आपत्ति करे या उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा डाले। संविधान द्वारा राज्य पर डाले गए दायित्वों के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। मानवीय जीवन के अधिकार को बहुत ऊँचे दर्जे पर रखा जाना चाहिए, भले ही नागरिक नाबालिग हो या बालिग, विवाहित हो या अविवाहित। केवल इस तथ्य के आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने अभी तक विवाह संपन्न नहीं किया है, उन्हें भारत का नागरिक होने के नाते, भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त संवैधानिक मौलिक अधिकार का दर्जा बहुत ऊँचा है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, यह अधिकार अत्यंत पवित्र होने के कारण, हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही विवाह संपन्न हुआ हो या पक्षों के बीच कोई विवाह हुआ ही न हो।

7. याचिकाकर्ता, जो बालिग हैं, ने शादी के बंधन के बिना एक साथ रहने का फैसला किया है, और उनके इस फैसले पर टिप्पणी करना न्यायालय का काम नहीं है। यदि याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है, तो इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि उनकी सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना को क्यों न स्वीकार किया जाए।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ताओं को शांतिपूर्वक एक साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है, और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

9. यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संबंधित पुलिस कमिशनर/एसएसपी/एसपी से संपर्क करेंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और पुलिस अधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता वयस्क हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि याचिकाकर्ता शिक्षित हैं और वे अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा विधि के तहत मान्य अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि वे वयस्क हो चुके हैं और अपनी स्वतंत्र इच्छा से साथ रह रहे हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके विरुद्ध तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी अपराध के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज न हो गई हो। यदि उनके पास अपनी आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं अथवा निरक्षर/अल्प-शिक्षित हैं, तो पुलिस अधिकारी ऐसे लड़के या लड़की की सही आयु सत्यापित करने हेतु उनका हड्डी परीक्षण करवा सकते हैं; साथ ही, वे विधि के तहत अनुमत अन्य प्रक्रियाओं का भी पालन कर सकते हैं।

10. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

मार्च 20, 2026

नितेंद्र